



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2019/ज्येष्ठ 8, 1941

No. 323]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2019/JYAISTHA 8, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2019

सा. का.नि. 384(अ).—पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2018 का प्रारूप, पेट्रोलियम अधिनियम 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 5 अक्टूबर 2018 में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना से सा.का.नि. 997 (अ) तारीख 5 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको जनता को अधिसूचना उपलब्ध करा दी गई थी, 45 दिनों के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और चूंकि उक्त अधिसूचना जनता को 5 अक्टूबर 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और चूंकि प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4,5,14,21,22 और धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम नियम 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1 (1). इन नियमों का सक्षिप्त नाम पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2). ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 पेट्रोलियम नियम, 2002 में-

(1) दूसरी अनुसूची में प्ररूप VIII में-

(क) भाग क में,-

(i) क्रम संख्या 6 से, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"प्रयोक्ताओं और उस स्थान का पूरा नाम और पूरा डाक पता अथवा अवस्थान, तालुक, जिला, राज्य के व्यौरों को देने वाले प्रचालन के क्षेत्र जहां सामान्य यान द्वारा वायुयान भारी यान अथवा मशीनरी, स्थैतिक उपस्कर के स्थल पर ईंधन भरने के उद्देश्य से पेट्रोलियम वर्ग क अथवा वर्ग ख का परिवहन किया जाएगा। उन भारी यानों की विशिष्टियां जिसमें यान और पुनः ईंधन भरा जाना प्रस्तावित है।"

(ख) भाग II में-

(i) क्रम संख्या 4 में " स्थल नक्शे " शब्दों के पश्चात् " अथवा प्रारूपिक विन्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 5 में " सूची" शब्दों के पश्चात् "अथवा प्रकार" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे,

(iii) क्रम संख्या 6 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"7. पुनः ईंधन को भरने और निस्तारण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं";

(2) प्ररूप IX में, टिप्पणियों के पश्चात् प्ररूप XIV, XV, XVI या विशेष प्ररूप में अनुज्ञप्ति के लिए इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज" शीर्षक के अधीन प्रविष्टियों में मद संख्या (VI) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vii) अनुज्ञप्ति भंडारकरण के मामले में ऐसे भंडारकरण जहां पुनः ईंधन भरने के लिए पार्क किया जाना है, प्रस्तावित क्षेत्र को दर्शित करने वाले प्रारूपिक अभिविन्यास के लिए चार स्थान के लिए पुनः ईंधन भरने के लिए पार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है।"

(3) प्ररूप XIX में :-

(क) क्रम संख्या 1 में वर्णन के अधीन " अनुज्ञप्तक में" शब्दों के पश्चात् प्ररूप XIV शब्द और आकड़े अंतः स्थापित किए जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 2 में वर्णन के अधीन "और" शब्दों के पश्चात् "प्रकार का" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) शर्त 6 के लिए निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"6. अनुज्ञप्त यान की लदाई विशेष प्ररूप या प्ररूप XV में अनुज्ञप्त भंडारकरण परिसरो में की जाएगी जिनमें टैंक लारी या प्ररूप XIV में अनुज्ञप्त भंडारकरण की सुविधा हो। यान यदि पेट्रोलियम वर्ग ख के लिए प्ररूप XIV में अनुज्ञप्त सर्विस स्टेशन से संलग्न और विनिर्दिष्ट तैयार किए गए क्षेत्र में की जा सकती है और इस क्षेत्र में सर्विस स्टेशन में भूमिगत टैंक से खींची गई कड़ी पाइप लाइन परिदान पंप और ऐसे यान पर पार्किंग स्थल होगा जो संरक्षित कार्यों से पृथक करने वाली दीवार की कुल ऊंचाई 1.2 मीटर और 1.8 मीटर ऊंची को चेन से फेनसिंग के साथ 60 सेमी ऊंची बाड़ के प्रबंध के द्वारा सर्विस स्टेशन के भीतर पृथक किए जाएंगे। पार्किंग स्थल और भरण स्थान के चारों ओर कम से कम 4.5 मीटर खाली स्थान होगा। ऐसे भंडारकरण का आकार न्यूनतम 10मी×10मी होगा। पुनः ईंधन भरने के पार्किंग अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त सर्विस स्टेशन में विनिर्दिष्ट रूप से तैयार स्रोत के अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

(घ) शर्त 12 के लिए निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"12. यान की यथास्थिति भारीत वाहनों के टैंक या मशीनरी और स्थैतिक उपस्करों में पुनः ईंधन भरने के दौरान किसी संरक्षित कार्य पूर्ण चक्र से पेट्रोलियम वर्ग ख हेतु न्यूनतम 6 मीटर की दूरी और पेट्रोलियम वर्ग क के लिए न्यूनतम 9 मीटर की दूरी रखी जाएगी।

परन्तु वायुयान के टैंक में पुनः ईंधन भरने के मामले में किसी संरक्षित कार्य से न्यूनतम 9 मीटर की दूरी रखी जाएगी। किसी वायुयान के टैंक भारी यान या मशीनरी और स्थैतिक उपस्कर में पुनः ईंधन भरने भंडारकरण के नजदीक देशी भाषा और अंग्रेजी भाषा कोई भी धूम्रपान बोर्ड प्रमुख रूप से वही लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति पुनः ईंधन भरने वाले के नजदीक में पेट्रोलियम के ज्वलन के कारण के धूम्रपान या माचिस, अग्नि, लाइटें, मोबाइल फोन, पदार्थ या सक्षम पदार्थ नहीं लाएगा।

वशर्ते कि -

(क) पेट्रोलियम वर्ग ख के लिए तीन हजार लीटर तक की क्षमता वाले अनुज्ञप्ति के पुनः ईंधन भरने वाले का ईंधन भरने के दौरान किसी संरक्षित कार्य चक्र से न्यूनतम 4.5 मीटर की दूरी पर रखेगा। दूरी को बाड़े द्वारा रख-रखाव किया जाएगा ;

(ख) भरने का बिन्दु तीन मीटर के समस्तरीय निकासी और 1.2 मीटर चारो ओर क्षैतिज निकासी होगा।

(ग) यान ईंधन भरते समय चालन की स्थिति से बाहर होगा।

(घ) ध्वनि की लंबाई और इलेक्ट्रानिक रूप से लगातार होज 10 मीटर से अनधिक होगी";

(ङ) शर्त 13 के खंड (ख) में "जैसा भी मामला हो" "शब्दों के पश्चात् " अर्थिंग की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(च) शर्त 14 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-

"14(क) पेट्रोलियम की उतराई केवल पंप के माध्यम से की जाएगी अर्थात् यान पर आरोपित मोटर चालित युक्ति द्वारा;

- (ख) प्रत्येक देखभाल किसी ड्रेन या सीवर या पब्लिक रोड में पेट्रोलियम के बचाव को रोकने के लिए की जाएगी ;
- (ग) पेट्रोलियम किसी उपस्कर में नहीं भरा जाएगा जब उक्त उपस्कर प्रचालन की स्थिति में हो ;
- (घ) प्रत्येक क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट आपात योजना को आपात के मामले में क्रियान्वयन हेतु तैयार की जाएगी और ऐसे आपात योजन की प्रति जिला प्राधिकारी को सौंप दी जाएगी।
- (ङ) विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदन प्राप्त मानक प्रचालन प्रक्रिया का इसके साथ अनुपालन किया जाएगा”।

(छ) शर्त 21 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-

“21. अनुज्ञप्त यान में होने वाले किसी दुर्घटना, अग्नि या विस्फोटक जिसमें मानव जीवन की क्षति व्यक्ति या संपत्ति को गंभीर क्षति हुई हो कि रिपोर्ट तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट या अधिकारिता रखने वाले निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को की जाएगी और मुख्य नियंत्रक को टेलीफोन या फैक्स या ईमेल द्वारा भी की जाएगी”।

[फा. सं. पी-11021/01/2018-वितरण]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव (विपणन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग, ॥ खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना सं.सा.का.नि. 204 (अ) तारीख 13 मार्च 2002 द्वारा और सा.का.नि. 857 (अ) 1 दिसंबर 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधि. सं. सा.का.नि. 762 (अ) तारीख 10 अगस्त 2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2019

G.S.R. 384(E).—WHEREAS a draft Petroleum (Amendment) Rules, 2018, were published as required by sub sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act 1934 (30 of 1934) under notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, dated, the 5th October, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 997 (E), dated the 5th October, 2018, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty five days from the date on which notification was made available to the public;

AND WHEREAS, the said notification was made available to the public on the 5th October, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from the public on the draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 4,5,14,21,22 and sub-section (1) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Petroleum Rules, 2002,-
 - (1) in the Second Schedule, in Form VIII,-
 - (a) in Part A-
 - (i) for serial number 6, the following shall be substituted, namely:-

“6. Name and full postal address of users or area of operation giving details of locality, taluka, district, state and of the place where the vehicle normally will be transporting petroleum Class A or Class B for the purpose of the site refuelling of aircraft’s, heavy vehicles or machineries, stationery equipment. Particulars of heavy vehicles which are proposed to be refueled by the vehicle”;
 - (b) in Part II-
 - (i) in serial number 4, after the words "site plan" the words “or typical layout” shall be inserted;
 - (ii) in serial number 5, after the words "List" the word “or Type” shall be inserted;
 - (iii) after serial number 6 , the following item shall be inserted, namely:-

"7. Standard operating procedures for filling and decantation of refueller”;
 - (2) in Form IX, after Notes, in the entries under the heading “Documents required to be submitted with this application for a Licence in Forms XIV, XV, XVI or special Forms”, after item number (vi) the following item shall be inserted, namely:-

"(vii) In case the licensed premises is to be used for parking refueller, four sets of site layout plan showing the proposed area in the premises where the refueller is to be parked.”;
 - (3) in Form XIX,-
 - (a) in serial number 1 under Description , after the words "licensed in" the words and figures "Form XIV or" shall be inserted;
 - (b) in serial number 2 under Description, after the words "and the" the word "type of” shall be inserted;
 - (c) for condition 6, the following condition shall be substituted, namely:-

"6. The licensed vehicle shall be loaded at a storage premises licensed in special form or Form XV having tank lorry loading facilities or premises licensed in Form XIV. The Class B licensed petroleum vehicle may be loaded at a specially prepared area attached to a service station licensed in Form XIV

and the area shall have rigid pipeline drawn from the underground tank in service station, delivery pump and space for parking such vehicle shall be segregated from facilities within service station by providing 60 cm brick wall with chain link fencing of total height 1.2 m and 1.8 m high brick wall segregating the same from protected works. The space for parking and filling point shall observe at least 4.5 m clearance all round within the fencing. The size of such premises shall be minimum 10 m x 10 m. Parking of the Refueller(s) shall also be permitted at specially prepared area in service station approved by the licensing authority.";

- (d) for condition 12, the following condition shall be substituted, namely:-

"12. Vehicle shall be kept at a minimum nine metres distance for Petroleum Class A and minimum six metres distance for Petroleum Class B from any protected works all-round during refuelling the tanks of heavy vehicles or machineries and stationery equipments as the case may be:

Provided that in case of refuelling of tanks of aircraft, vehicle shall be kept at a minimum nine metres distance from any protected works. Unauthorized person shall not be permitted within the distance during refuelling. No smoking board in vernacular and English shall be displayed prominently near the premises of refuelling the tanks of aircraft, heavy vehicles or machinery and stationery equipments. No person shall smoke or carry matches, fire, lights, mobile phones, articles or substance capable of causing ignition of petroleum in the vicinity of refueling:

Provided that -

- (a) refueller of licensed capacity up to three thousand litres for Petroleum Class B shall be kept at a distance of minimum of 4.5 metres distance from any protected works all-round during refuelling. The distance shall be maintained by barricading;
- (b) the fill point shall be at a horizontal clearance of three metres and vertical clearance of 1.2 metres all-around;
- (c) the vehicle shall be in drive out position while refueling;
- (d) the length of the sound and electrically continuous hose shall not exceed 10 metres";
- (e) in clause (b) of condition 13, after the words "as the case may be" the words "The earthing arrangements shall be ensured" shall be inserted.
- (f) for condition 14, the following condition shall be substituted, namely:-
- “14 (a) Petroleum shall be unloaded only through the pump, namely, motoring devices mounted on the vehicle;
- (b) Every care shall be taken to prevent escape of petroleum into any drain or sewer or public road;

- (c) Petroleum shall not be filled into equipments while the said equipment is in operating condition;
 - (d) Specific emergency plan for each site shall be prepared for implementation in case of emergency and the copy of such emergency plan shall be submitted to the District Authority.
 - (e) Standard Operating Procedure as approved by the Chief Controller of Explosives shall be complied with”.
- (g) for condition 21, the following condition shall be substituted, namely:-

“21. Any accident, fire or explosion occurring in the licensed vehicle, which is attended with loss of human life or serious injury to person or property shall be immediately reported to the nearest Magistrate or to the officer in-charge of the nearest police station having jurisdiction and by telephone or fax or e-mail to the Chief Controller”.

[F. No. P-11021/01/2018-Dist.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy. (M)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 204(E), dated the 13th March, 2002 and G.S.R.857(E), dated the 1st December, 2011 last amended *vide* notification number G.S.R.762(E), dated the 10th August, 2018.